हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

विधान सभा सचिवालय परिसर तथा न्यू मेट्रोपोल विधायक सदन की कैन्टीन में जलपान की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शर्तनामा ः-

1 निविदायें मु0 2000/-रू की धरोहर राशि के साथ ऑन लाईन स्वीकार की जाएगी, जिस्का भुगतान केवल यूपीआई(UPI) या इंटरनेट बैंकिंग(Internet Banking) से ही किया जाएगा । जिनकी निविदाऐं स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि वापिस कर दी जाएगी ।
(**नोटः ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा की वेबसाइट पर दर्शाये गये लिंक पर क्लिक कर के एसबीआई कलेक्ट विकल्प के माध्यम का प्रयोग करना होगा**)

2 निविदायें दिनांक **31.1.2022** को 5ः00 बजे (सांय) तक पहुंच जानी चाहिये । निविदाकर्ता, जो उपस्थित होना चाहे, उनकी उपस्थिति में सचिव, विधान सभा द्वारा उनके कक्ष में निविदायें दिनांक 02.02.2022 को 2ः00 बजे (अपराहन) खोली जाएगी ।

3 विधान सभा सचिवालय की कैन्टीन में जलपान की नई व्यवस्था दिनांक **7.2.2022** से शुरू करनी होगी ।

4 कैन्टीन का किराया जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देना होगा तथा प्रतिमाह विधान सभा सचिवालय में जमा करना होगा ।

5 ठेकेदार कैन्टीन को स्वंय चलायेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को चलाने हेतु Sublet नहीं करेगा ।

6 बिजली/ पानी की खपत का कुल व्यय ठेकेदार द्वारा स्वंय वहन किया जाना है।

7 फर्नीचर का रख-रखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा । यदि अतिरिक्त फर्नीचर की आवश्यकता
8 हो तो उसकी व्यवस्था ठेकेदार स्वंय अपने खर्चे पर करेगा ।

9 गैस का कुनैक्शन, बर्तन, क्रॉकरी तथा कटलरी का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वंय करना होगा जो कि अच्छी किस्म का होना अनिवार्य है ।

10 मु0 15,000/-रूपये प्रत्याभूति राशि सचिव विधान सभा के नाम एक वर्ष की अवधि के लिए FDR या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में विधान सभा सचिवालय में जमा करवानी होंगी । किसी भी शर्त की उलघंन तथा फर्नीचर की तोड़ फोड़ की स्थिति में प्रत्याभूति राशि जब्त करने का पूरा अधिकार सचिव विधान सभा के पास सुरक्षित रहेगा ।

11 माननीय सदस्यों को रूम सर्विस उनकी मांग पर उपलब्ध करवानी होगी । जलपान सम्बन्धी सामग्री या खाद्य वस्तुओं की गुणवता के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिए कैन्टीन का ठेकेदार उत्तरदायी होगा । जलपान गृह में सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा । सम्बन्धित ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि जलपान/भोजन की आपूर्ति माननीय सदस्यों की गरिमा अनुरूप हो ।

12 जलपान गृह का प्रबन्धन शुरू करने से पूर्व ठेकेदार को सचिव, विधान सभा के साथ इकरारनामा करना होगा, जिसे दोनों पार्टियां यथा विधान सभा या ठेकेदार द्वारा एक महीने की अवधि का नोटिस देने पर रद्द कर सकेगी।

13 सर्शत या धरोहर राशि के बिना या निश्चित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार न करके उन्हें स्वतः ही रद्द समझा जाएगा।

14 निविदाओं के साथ संलग्न सभी आवश्यक प्रतियां आवदेक द्वारा अपने हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। अधूरे या हस्ताक्षर रहित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

15 सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को कभी भी कैन्टीन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

16 जब कभी जलपान सामग्री की जांच करवाई जानी होगी तो निविदाकर्ता को उसकी फीस अदा करनी होगी अन्यथा यह राशि उसकी प्रत्याभूति से वसूल की जाएगी।

17 सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सभी वस्तुओं की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उनका परीक्षण करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।

18 निविदाकर्ता के पक्ष में कैन्टीन का ठेका स्वीकृत होने पर इकरारनामा में तथा उपरोक्त शर्तों एवं निबन्धन की अवहेलना किए जाने पर इस ठेके को किसी भी समय रद्द किए जाने का अधिकार सचिव, विधान सभा के पास सुरक्षित रहेगा।

19 सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय को किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा